

2021 DN 347  
385 6-12-21

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
शर्कीना पत्र	307 2021	6-12-21	कोडलाई (सायप्रियाकला)			

अनवान

श्री लाल राम पिता श्रीसा कुमावर बनाम श्री राज. सरवर्क  
निवासी कोडलाई



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रस्यो.

प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र  
(राज. मू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

समान,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वित निवेदन है कि ग्राम मोड्लाई की जमाबन्दी सन्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 177,84 में मेरे बमेरी बहन के नाम के आगे पिता का नाम चीखलाल दख्त जबकी सही नाम चीसाई जो खुड़ राजे की छपा राखें / स्वामी नाम लालुराम के बजाय लालाराम दख्त जिसे खुड़ राजे की छपा राखें। उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश किये जाने की कृपा करें।

दिनांक 21/12/2021

लालुराम  
(लालुराम छिचीसा)

रिपोर्ट-पटवारी एवं मूअ.निरोक्षक

महोदयजी

निवेदन है कि ग्राम मोड्लाई के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सन्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 177,84 में प्रार्थी का नाम लालुराम, चीखलाल दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातदार का सही नाम लालाराम, चीसा है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

उक्त रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।  
सरदारना  
21/12/21

पटवारी कमलेश  
21/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा राज. मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता का नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी कमलेश व मूअ.नि. सरदारना एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम मोड्लाई की जमाबन्दी सन्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 177,84 में प्रार्थी का नाम लालुराम के बजाय लालाराम किये जाने हेतु अभिशप की जाती है।

- 1. लालाराम पि. चीखलाल
- 2. लाली पुत्री चीखलाल
- 1. लालुराम छिचीसा
- 2. लाली पुत्री चीसा

DN 347  
पु.स.२-२

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम मोड्लाई जमाबन्दी सन्वत् 2076-79 खाता संख्या 177,84 दर्ज प्रार्थी का नाम के स्थान पर लालुराम छिचीसा संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।  
1. लालाराम पि. चीखलाल  
2. लाली पुत्री चीखलाल

उपखण्ड अधिकारी  
वशिष्ठ प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा  
प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021